भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 701

(जिसका उत्तर सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक) को दिया गया)

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का दुरुपयोग

701. श्री दयानिधि मारन:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने एनसीएलटी द्वारा बड़े ऋणों के भुगतान में ऋणियों द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का उपयोग करके कंपनियों को असमानुपातिक राशि दिया जाना नोट करने का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने पारिवारिक सदस्यों अथवा बेनामी के जरिए कंपनियों का नियंत्रण हाथ में लेने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का दुरुपयोग करने वाले ऋणियों के विरुद्ध जांच शुरू की है/करने का विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने कंपनियों और उनकी परिसंपत्तियों का नियंत्रण हाथ में लेने के लिए तथा बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए आईबीसी का दुरुपयोग करने में ग्राहकों की मदद करने वाली कंसल्टेंसी फर्मों के विरुद्ध जांच शुरू की है/करने का विचार कर रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय या प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, सीबीसी जैसी एजेंसियों को आईबीसी का दुरुपयोग करके चूककर्ताओं या कंसल्टेंसी फर्मों द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता/आईबीसी) के तहत कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से लेनदारों द्वारा वसूली बाजार द्वारा संचालित होती है तथा यह, अन्य बातों के साथ-साथ, इसके समाधान के समय परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, अब तक 457 कंपनियों की समाधान योजना इस संहिता के तहत अनुमोदित कर दी गई है। 444 कंपनियों की समाधान योजना, जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध हैं, से कुल 7.54 लाख करोड़ रुपये के अनुमत दावों के प्रति वित्तीय लेनदारों (एफसी) के लिए 2.50 लाख करोड़ रुपये मूल्य की वसूली प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग): इस संहिता की धारा 29क में कारपोरेट देनदार (सीडी) की सीआईआरपी के दौरान समाधान योजना को प्रस्तुत करने में अपात्र अवांछित व्यक्तियों की कतिपय श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया है। आईबीबीआई (कारपोरेट निकायों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का विनियम 36क(8) समाधान पेशेवर (आरपी) पर यह सुनिश्चित करने हेतु सम्यक तत्परता रखने के लिए एक ड्यूटी आरोपित करता है कि इस संहिता की धारा 29क के तहत भावी समाधान आवेदक अपात्र नहीं है। समाधान पेशेवर से, समाधान योजना की प्राप्ति पर, यह अपेक्षित है कि वह लेनदारों की समिति(सीओसी) के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करे जिसे यह समिति इस संहिता की धारा 30(4) के तहत यथा उपबंधित इसकी व्यवहार्यता पर विचार करते हुए अनुमोदित कर सकती है। इसके पश्चात्, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 31 के तहत समाधान योजना को यह संतुष्ट होने के पश्चात अनुमोदित करता है कि समाधान योजना, लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित, संहिता की धारा 30(2) की अपेक्षाओं को पूरा करती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह शामिल है कि यह तत्समय प्रवृत्त विधि के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि धारा 29क के तहत कोई भी अवांछित व्यक्ति कारपोरेट देनदार का कार्यभार संभालने में असमर्थ हैं। इसी तरह, कारपोरेट देनदार की परिसमापन कार्यवाहियों के दौरान, धारा 35(1)(च) का परंतुक समापक को किसी ऐसे व्यक्ति को चल तथा अचल संपत्ति बेचने से वर्जित करता है जो समाधान आवेदक होने के लिए अपात्र है।

(घ): भारतीय दिवाला तथा शोधन अक्षमता बोर्ड (परिवाद तथा शिकायत निपटान प्रक्रिया) विनियमन, 2017, आईबीसी के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध कोई परिवाद या शिकायत फाइल करने के हेतु स्टेकधारकों को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, भारतीय दिवाला तथा शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम), प्रधानमंत्री कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा अन्य प्राधिकरणों से भी शिकायतें तथा परिवाद प्राप्त होते हैं। 30 जनवरी, 2022 तक, आईबीबीआई को ऐसे 5782 परिवाद एवं शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 5552 शिकायतों का जांच के उपरांत निपटान कर दिया गया है। साथ ही, उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय को एक सीआईआरपी के एक आरपी के विरूद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है, सीबीआई को एक सीआईआरपी मामले में प्रक्रिया के दुरूपयोग के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई हैं तथा एसएफआईओ को आईबीसी के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में 8 (आठ) शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

*****